5/2/25 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया। अवलोकन पश्चात स्पष्ट हुआ कि प्रार्थना-पत्र का निर्णय-सामान्य द्वारा पूर्व में ही दिनांक 1/10/2014 को किया जा चुका है तथा पालनार्थ तहसीलदार करौली को निर्वमित भी किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में प्रार्थना-पत्र पूर्व में ही निर्णित होने से आगे कार्यवाही चलाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः प्रार्थना-पत्र को इसी स्तर पर खारिज किया जाता है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Prem Raj Meena
Date: 2025.08.16 14:35:18 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	अहकाम जो हुक्म की ता... में जारी हुए...
	पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जाती है। निर्णय की पालनार्थ तहसीलदार करौली को [illegible] आदेश जारी किया जावे। Signature Not Verified Digitally signed by Prem Raj Meena Date: 2025.08.16 14:35:18 IST Reason: SelfAttested [signature] उपखण्ड अधिकारी करौली (राज0)	